भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4853

दिनांक 31 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एच 3 एन 2 के बढ़ते मामले

4853. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री प्रतावराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में एच3एन2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन्फ्लुएंजा के कुल कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ड.) देश में उक्त इन्फ्लुएंजा के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) क्या सरकार ने देश में इन्फ्लुएंजा के परीक्षण के लिए उन्नत जांच प्रयोगशालाओं और संबंधित सुविधाओं को विकसित करने के लिए कोई निधि स्वीकृत और जारी की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करता है और नियमित आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ समीक्षा करता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कदम उठाने के लिए एक परामर्शिका भी जारी की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- संबंधित क्षेत्रों में एनफ्लुएंजा जैसी बीमारी/गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (आईएलआई/एसएआरआई) की प्रवृत्ति का बारीकी से फॉलो-अप करना, सभी आईएलआई और एसएआरआई मामलों में एसएआरआई मामलों के अनुपात की निगरानी रखना और इन्फ्लुएंजा, सार्स-सीओवी-2 आदि के परीक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में नमूनों को रेफर करना।

- श्वसन और हाथ की स्वच्छता के लिए अनुपालन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना (जैसे खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टीशु / कोहनी से ढंकना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना, अधिमानतः भीड़ भरे वातावरण में मास्क का उपयोग करना, बार-बार हाथ धोना आदि), लक्षणों की शीघ्र रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, और श्वसन संबंधी रोग से पीड़ित होने पर संपर्क को सीमित करना।
- मौसमी इन्फ्लुएंजा के लिए (https://main.mohfw.gov.in/basicpage/technical-guidelines), कोविड-19 के लिए (https://mohfw.gov.in) आदि संबंधी तकनीकी दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से प्रसार करना जो इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
- कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी कार्यनीति संबंधी प्रचालनात्मक दिशानिर्देश कार्यान्वित करना जिसमें आईएलआई/एसएआरआई के मामलों के रूप में प्रस्तुत होने वाले श्वसन रोगजनकों की एकीकृत निगरानी का प्रावधान है जो

  https://www.mohfw.gov.in/pdf/OperationalGuidelinesforRevisedSurveillanceStrategyincontextofCOVID-19.pdf . पर उपलब्ध है।

- औषधियों, चिकित्सा उपकरणों, मौजूदा दिशानिर्देशों संबंधी मानव संसाधन के क्षमता निर्माण और कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के विस्तृत टीकाकरण कवरेज सहित अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेना।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी 2023 से 27 मार्च 2023 तक एच3एन2 के कुल 1350 मामलों (अनुलग्नक में विवरण प्रस्तुत है) और 05 मौतों (हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी से 01-01) की सूचना प्राप्त हुई है।

जिला स्तर पर पर्याप्त अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और अवसंरचना उन्नयन सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भविष्य की किसी भी जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति के लिए देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के उद्देश्य से, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, निगरानी नेटवर्क, गहन परिचर्या ब्लॉकों की स्थापना और अनुसंधान अवसंरचना को अपग्रेड करने के संदर्भ में राज्यों को सहयोग प्रदान करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम-एबीएचआईएम के तहत वर्ष 2021-2022 के लिए 584.04 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,176.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल मामले
1	अंडमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	12
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	1
5	बिहार	1
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	3
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	370
11	गोवा	2
12	गुजरात	12
13	हरियाणा	15
14	हिमाचल प्रदेश	2
15	जम्मू और कश्मीर	6
16	झारखंड	6
17	कर्नाटक	134
18	केरल	60
19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	2
22	महाराष्ट्र	184
23	मणिपुर	0
24	मेघालय	0
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	0
27	ओडिशा	32
28	पुद्दुचेरी	125
29	पंजाब	26
30	राजस्थान	222
31	सिक्किम	0
32	तमिलनाडु	83
33	तेलंगाना	0
34	त्रिपुरा	4
35	उत्तराखंड	7
36	उत्तर प्रदेश	19
37	पश्चिम बंगाल	20